

⇒ सन् 1975 में जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने जनता के 'संसद मार्च' का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जय प्रकाश नारायण को उन भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर-कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला।

★ 1974 की रेल हड़ताल :— सन् 1974 में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नान्डिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। (बैनस व सेवा को लेकर)

(ii) न्यायपालिका से संघर्ष :—

⇒ इस दौर में न्यायपालिका के सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद उभरे। केशवानन्द भारती के महादूर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढाँचा है और संसद इन ढाँचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है।

⇒ सन् 1973 में केशवानन्द भारती के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सन् 1973 में तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके इनसे कनिष्ठ न्यायमूर्ति ए. एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया।

⇒ इस संघर्ष का चरम बिन्दु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया।

(2) आपातकाल की घोषणा :-

- ⇒ 12 जून, 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक कर दिया।
- ⇒ यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा हायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया गया था।

(i) संकट और सरकार का फैसला :-

- ⇒ 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी या अन्दरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है।
- ⇒ आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बँटवारे का संघीय ढाँचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और समस्त शक्तियाँ केन्द्र में चली जाती हैं। दूसरे, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है।

(ii) परिणाम :-

- ⇒ आपातकालीन प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों में कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस

संसदीय के नाम से जाना गया।

⇒ सरकार ने निवारक नजरबंद को बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इस प्रावधान के अन्तर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है बल्कि इसके विपरीत, इस प्रावधान के अन्तर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं।

⇒ इंदिरा गाँधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की छठभूमि में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42 वाँ संशोधन पारित हुआ।

⇒ 42 वाँ संशोधन में देश की विधायिका के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया।

(3.) आपातकाल के संदर्भ में विवाद :-

ii) शाह जाँच आयोग ! -
⇒ मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री. जे. सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गयी-कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जाँच के लिए किया गया था।

(ii) क्या 'आपातकाल' जरूरी था? —

⇒ सन् 1975 से पहले कभी भी 'अंधरूनी शड़बडी' को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी।

⇒ सरकार का मानना था कि बार-बार का घटना-प्रवर्धन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भ्रम होता है।

⇒ कुछ अन्य दलों, मसलन सीपीआई ने आपातकाल के दौरान कांग्रेस को समर्थन दिया। बाद में सीपीआई ने महसूस किया कि उसका मूल्यांकन गलत था।

⇒ कुछ आलोचकों के अनुसार आंदोलन अपनी हड़ से बाहर जा रहे थे, तो सरकार के पास अपनी सैन्य शक्ति की अमल में आने वाली इतनी शक्तियाँ थी कि वह ऐसे आंदोलनों को हड़ में ला सकती थी।

⇒ लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को छुप करके 'आपातकाल' लागू करने जैसे अतिचारी कदम उठाने की जरूरत काटई न थी।

(iii) आपातकाल के दौरान क्या-क्या हुआ? : —

★ ⇒ तर्कमान गेट इलाके में विध्वंस, दिल्ली : —
आपातकाल के दौरान दिल्ली के गरीब इलाके के निवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ा। इस इलाके में झुग्गी-झोंपड़ियों को उखाड़ दिया गया। इलाके के सैकड़ों लोगों की जीवन नसबंदी की गई।

→ सरकार ने बीस-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और उन्हें लागू करने का अपना छह संकल्प होदराया।

→ आपातकाल की घोषणा के बाद मध्यवर्गी इस बात से बड़ा खुश था कि विरोधी आन्दोलन समाप्त हो गया और सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लागू हुआ। आपातकाल को लेकर सभी वर्गों के दृष्टिकोण अलग-अलग थे।

→ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की विफलता और प्रेस पर लगी पबन्दी के अतिरिक्त आपातकाल का बुरा प्रभाव आम लोगों को भी भुगतना पड़ा। आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातना की घटनाएँ घटी। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप होने पर लोगों पर क्या चुकसती है।

★ → कालीकट (केबल) में इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र पी. राजन की पुलिस हिरासत में मौत।

(iv) आपातकाल का खक :-

→ आपातकाल का एक खक तो यही है कि भारत से लोकतांत्रिक को समाप्त करना बहुत कठिन है।

→ दूसरे आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थागत उल्लंघन भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुसजा लिखा गया। अब 'अंरुनी' आपातकाल सिर्फ 'सशस्त्र विद्रोह' की स्थिति में लगाया जा सकता है।

→ तीसरे आपातकाल के बाद हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ।

(40) आपातकाल के बाद की राजनीति : —

⇒ उत्तर भारत में तो खासतौर पर क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था। विपक्ष ने 'लोकतंत्र बचाओ' के नारे पर चुनाव लड़ा। जनतादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था।

(i) लोकसभा के चुनाव - 1977 : —

⇒ 18 मई के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। मार्च 1977 में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा काम समय मिला, परन्तु राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज थी।

⇒ स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गयी। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थीं। जनता पार्टी उग्र सहयोगी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 300 सीटें मिलीं।

(ii) जनता सरकार : —

⇒ सन् 1977 के चुनावों के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई विशेष सामंजस्य नहीं था। चुनावों के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गयी। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, तथा जगजीवन राम आदि शामिल थे।

→ मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, पर सत्ता पाने की खिंचतान स्वयं न हुई। आलोचकों के अनुसार इस पार्टी में एक सारे कार्यक्रम का अभाव है। जनता पार्टी फिर आई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया।

(iii) विरासत :-

→ सन् 1980 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस की विजय प्राप्त हुई एव इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनीं।

→ सन् 1977 और 1980 के चुनावों के बीच बलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। सन् 1969 के बाद कांग्रेस विविध विचारधारात्मक नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक रूप में समेट कर चलने वाला स्वभाव बदल दिया था।

→ उपर्युक्त रूप से सन् 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। सन् 1977 में कई राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर भारत के राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

→ आपातकाल और इसके अस्पष्टता की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर हिंडा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था।

★ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी — जगजीवन राम के नेतृत्व में बनी थी बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गई थी।